न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी— सुश्री अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 136 / 2020 वाद

दिनांक 18.11.2020

उनवान

द्रीलाल पिता चुन्नीलाल जी जाति माली निवासी मालनखेडी तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

................वादी

।। बनाम ।।

1. भेरूसिंह पिता मोहब्बत सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तह0 भदेसर।
2. शम्भूसिंह पिता मोहब्बत सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तह0 भदेसर।
3. उदय सिंह पिता प्रताप सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तह0 भदेसर।
4. कालू सिंह पिता प्रताप सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तह0 भदेसर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर।

................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 रा0 का0 अधि0 1955

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 209 के तहत एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :—

1. यह कि वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा मिन्नाणा प0ह0 गरदाना तहसील भदेसर के खाता सं0 45 पर दर्ज आराजी नं 311 रकबा 0.80 हैक्ट, आराजी नं 313 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला—चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:56:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

2.04 हैक्टे कुल कीता 2 कुल रकबा 2.84 हैक्टर कुल लगानी 11.36 रू दर्ज रेकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी साबिक एवं नवीन नक्शा ट्रेस, मिलानशीट व विक्रय पत्र की फोटो संलग्न वाद पत्र है।

2. यह कि वाद पत्र की कॉलम सं0 01 में वर्णित खाता सं0 45 पर दर्ज आराजी नं 311 रकबा 0.80 हैक्टेयर, आराजी नं 313 रकबा 2.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.84 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 का 9/408वां हक हिस्सा में से 1/2 अर्थात 9/816वां हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 का उक्त आराजीयात में निहित 1/32वे हक हिस्से में से 1/96वां हक हिस्सा व प्रतिवादी सं0 03 एवं 04 का संयुक्त रूप से बनने वाले 2/20वें हक हिस्से में से 80/2840वां हक हिस्सा यानि कुलिया 5749/115872वां हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2016 को बिल एवज 100000/- रू अक्षरे एक लाख रू में क्रय कर कब्जा भी क्रेता ने विक्रेतागण से प्राप्त कर लिया। क्रयशुदा आराजीयात के पडौस पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में रामचन्द्र एवं बाबूलाल जी सुथार, उत्तर में निम्बाहेडा-मंगलवाड रोड एवं दक्षिण में नारायणसिंह, सज्जनसिंह की आराजीयात है। वादी खरीद दिनांक से उक्त खरीदशुदा आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज होकर बहैसियत मालिक उपयोग उपभोग कर रहा है।

3. यह कि वादी खरीद दिनांक 11.01.2016 से ही अपने द्वारा खरीद की गई 5749/115872 वां हक हिस्से वाली कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परंतु प्रतिवादीगण ने उपरोक्त वर्णित आराजीयात का वर्ष 2010 में प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपने संयुक्त खातेदारी वाली उपरोक्त कृषि भूमि का अन्य सह खातेदारों की सहमति से बंटवारा करा लिया एवं प्रतिवादी सं01 व 2 को पुनः आ0नं0 311 का सहमति में बंटवाडा करा खाता अलग अलग करा अपनी खातेदारी में दर्ज करा लिया एवं बंटवाडे पश्चात खातेदार शंभूसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपूत निवासी मिन्नाणा में अपने हक हिस्से में आई आराजी नं0 311/5 मीन रकबा 0.08 हैक्टर भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि का दिनांक 22.01.2018 को उपखण्ड अधिकारी भदेसर के कार्यालय से वाणिज्यिक

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:56:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रयोजनार्थ(दुकान के लिये) सपंरिवर्तन करा अपने नाम दर्ज करा दी है। जबकि वादी खरीदशुदा भूमि पर खरीद दिनांक से ही काबिज होकर मालिक के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मौके पर विक्रेतागण/प्रतिवादीगण का कोई कब्जा, उपयोग उपभोग नहीं है।

4. यह कि वादी के अनपढ व ग्रामीण परिवेश का होने के कारण उसे उक्त आराजीयात का नामांतरण अपने नाम नहीं खुलवा सका और विक्रेतागण ने उक्त आराजीयात दिनांक 11.01.2016 को विक्रय कर देने के बावजूद भी बेईमानीपूर्वक आशय से उक्त आराजीयात का बंटवाडा करा भूमि का वाणिज्यिक रूपांतरण करवा कर अपने नाम अलग अलग खातदेरी में दर्ज करवा ली है जिसकी जानकारी वादी को पूर्व में नहीं थी। इस वर्षा के आगमन से पहले वादी को अपनी कृषि आराजीयात पर ऋण लेने की आवश्कता महसूस होने से उसे खरीदशुदा आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में उसका नाम दर्ज होने पर ही कृषि ऋण दिये जाने की जानकारी प्राप्त हुई इस पर वादी ने प्रतिवादीगण/विक्रेता से आराजीयात का इंतकाल अपने नाम पर खुलवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा इनकार कर दिया गया जिससे वादी वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादीगण से खरीदशुदा 5749/115872वां हक हिस्से वाली कृषि भूमि को अपने नाम खातेदारी घोषणा का श्रीमान का समक्ष प्रस्तुत है।

5. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 01 में वर्णित वादी द्वारा विक्रेतागण प्रतिवादी सं. 01 से 04 तक से खरीद की गई 5749/115872वें हक हिस्से वाली कृषि भूमि आज भी वादी की अज्ञानता व प्रतिवादीगण की चालबाजी के चलते प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण एवं वर्तमान में जमीनों के मूल्यों में भारी बढोतरी हो जाने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा उनके द्वारा वादी को क्रय की गई आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर उसे बेदखल करने का प्रयास कर रहे है तथा मौके पर वादी का कब्जा होने के बावजूद भी बिना कब्जे के ही आराजीयात को अन्य को हस्तांतरण करने की फिराक में है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादीगण सं0 01 से 04

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:56:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

द्वारा वादी को विक्रय किये गये 5749/115872वें हक हिस्से वाली भूमि में वादी के उपयोग उपभोग व कब्जे के किसी प्रकार की दखलंदाजी मदाखलत नहीं करे एवं राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ उठा कर वादी द्वारा खरीद की गई आराजीयात को किसी अन्य को रहन ,बह बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील न तो स्वयं करे एव ना किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावें।

6\. यह कि वाद कारण वादी द्वारा पटवार हल्का से दिनांक 30.07.2020 को खाते की नकल प्राप्त करने से आराजीयात उसके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई उसी दिनांक से पैदा होकर निरंतर जारी है।

7\. यह कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न प्रकार डिक्री किया जावें :–

अ– कि वाद पत्र की कलम सं 1 में वर्णित ग्राम मिन्नाणा पटवार हल्का गरदाना तह भदेसर खाता सं0 45 पर दर्ज आराजी नं 311 रकबा 0.80 हैक्ट, आराजी नं 313 रकबा 2.04 हैक्टे कुल कीता 2 कुल रकबा 2.84 हैक्टर कृषि भूमि से प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय किये गये 5749/115872वां हक हिस्सा वाली कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से खरीद की गई 57459/115872वां हक हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें।

ब– कि वादी द्वारा खरीद की गई 5749/115872वां हक हिस्से वाली कृषि भूमि से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल नहीं करे एवं वादीके उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त के किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे एवं आराजीयात राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज होने से आराजीयात किसी अन्य को रहन ,बह बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील न तो स्वयं करे एव ना किसी अन्य से करावे इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावें।

भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:56:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जरिये वकील श्री नरेन्द्रसिंह पंवार के इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ।

लायक अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 कालूसिंह केवल मात्र सहखातेदार होने से उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहने से तलबी की आवश्यकता नहीं है शेष प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है इसलिए तनकी निर्माण की भी आवश्यकता नहीं है । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :

1. नकल जमाबन्दी मौजा मिन्नाणा खाता संख्या 45 संवत्2072–2075
2. पंजिकृत दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित तादादी रूप्ये एक लाख दिनांक 11.01.2016
3. आपसी सहमति विभाजन धारा 53(2) की फोटो प्रति दिनांक 10.7.17
4. ना0क0 संख्या 111 दिनांक 10.7.17 मौजा मिन्नाणा
5. नक्शा ट्रेस
6. फोटो प्रति भू रूपान्तरण आदेश संख्या06/2018 दिनांक 22.1.2018
7. शपथ पत्र वादी

लायक अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे प्रकट होता है कि वादी द्वारा क्रय आराजीयात का नामान्तरण उसके पक्ष में नहीं खोला गया था उसी दौरान सहखातेदारान द्वारा आपसी विभाजन करा भूमि अपने अलग अलग खातेदारी में दर्ज करा ली गई तत्पश्चात् कुछ भूभाग को रूपान्तरित करा लिये जाने राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो चुकी है तथा वादी द्वारा क्रय भूमि का राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अंकित कराये जाने से वंचित चल रहे है जो वादी अपने खातेदारी में दर्ज कराये जाने के अधिकारी है । प्रतिवादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.05 12:56:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किए जाने से वाद के तथ्यों की पुष्टि होती है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम मिन्नाणा पटवार हल्का मरदाना तहसील भदेसर की खाता सं0 45 पर दर्ज आराजी नं 311 रकबा 0.80 हैक्टेयर, आराजी नं 313 रकबा 2.04 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 2.84 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.1. 2016 से वादी द्वारा प्रतिवादीगण से खरीद की गई भूमि 57459/115872वां हक हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:56:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

द्री लाल पिता चुन्नीलाल जी जाति माली निवासी मालनखेडी तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ।

................वादी

।। बनाम ।।

1. भेरूसिंह पिता मोहब्बत सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तह0 भदेसर।
2. शम्भूसिंह पिता मोहब्बत सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तह0 भदेसर।
3. उदय सिंह पिता प्रताप सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तह0 भदेसर।
4. कालू सिंह पिता प्रताप सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी मिन्नाणा तह0 भदेसर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर।

.................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 रा0 का0 अधि0 1955
प्रकरण सं0 136/2020

वादी की और से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिहं पंवार की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 18.11..2020 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम मिन्नाणा पटवार हल्का गरदाना तहसील भदेसर की खाता सं0 45 पर दर्ज आराजी नं 311 रकबा 0.80 हैक्टेयर, आराजी नं 313 रकबा 2.04 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 2.84 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.1.2016 से वादी द्वारा प्रतिवादीगण से खरीद की गई भूमि 57459/115872वां हक हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 18–11–2020 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी भदेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:56:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner